न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2018 (निगरानी)

उनवान

विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा (राज0)

(निगराकार)

बनाम

1. संरपच ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द पंचायत समिति सांगोद
2. घनश्याम अहीर पुत्र श्री मूलचंद अहीर जाति अहीर निवासी ग्राम नांगलहेडी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा

(गैर निगराकार)

उपस्थित :- 1. श्री अनिल शर्मा (अभिभाषक निगराकार)
:- 2. गैर निगराकार न01 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. गैर निगराकार न02 ((अभिभाषक अनुपस्थित)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान अधिनियम 1996 विरूद्ध कार्यालय ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा नियम 157 राज0 पचायत राज0.अधि0 1996 मिसल संख्या 7 पट्टा संख्या 7 दायरा दिनांक 6-11-2004 आदेश दिनांक 27.12.2004 को निरस्त कराने बाबत

निर्णय दिनांक : 24.07.2024

1 . निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 में ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द पंचायत समिति सांगोद के दायरा आदेश दिनांक 6.11.2004 एवं आदेश दिनांक 27.12.2004 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। गैर निगराकार न01 बाबजूद सूचना अनुपस्थित। गैर निगराकार न02 के अभिभाषक को रूक रूक के आवाजे दिलाई गई। आवाजे दिलाये जाने के बावजूद अनुपस्थित । वकील निगराकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस निगरानी में कथन है कि निगराकार पंचायत समिति सांगोद में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है और गैर निगराकार ग्राम. पंचायत कुराडिया खुर्द में संरपच के पद पर कार्यरत है। संरपच ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द द्वारा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 के तहत पुराने गृहो का विनियमितिकरण पट्टा संख्या 7 श्री घनश्याम आत्मज मूलचंद अहीर निवासी ग्राम नांगलहेडी को दिनांक 27.12.2004 को जारी किया गया। शिवराज पुत्र किशनलाल अहीर निवासी नांगलहेडी द्वारा कार्यालय पंचायत समिति सांगोद में पूर्व में जारी पट्टा दिनांक 27.12.2004 घनश्याम अहीर को निरस्त

अति. जिला कलक्टर
कोटा

करने बाबत आवेदन किया। शिवराज द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु आवेदन किये जाने पर जांच की गई जाचं के उपरान्त पाया कि उक्त पट्टा निम्न कारणो से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर पट्टा गैर गुमकिन आबादी भूमि में दिया गया है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं है। नियम 157 (1) (ख), राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत 300 वर्गगज के क्षेत्रफल में ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 608 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। जो कि नियमानुसार निर्धारित सीमा से अधिक है एवं नियमानुसार नहीं है। नियम 157 (1)(ख) राज0 पंचायत राज0 अधिनियम 1996 में पुराने गृहो का विनियमितिकरण पट्टा पूर्ववर्ती 50 वर्षो के दौरान संनिमित पुराने गृहो के लिए पट्टा जारी किया जाता है जबकि कही भी यह बिन्दु उक्त पट्टे में नहीं दर्शाया गया है। नियम 157 (1) (ख), राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण पट्टा जारी करते समय अधिकारित पारिवारिक सदस्यों का सहमति पत्र लिया जाना चाहिये था जो कि नहीं लिया गया। सहमति के अभाव में पारिवारिक सदस्यो के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। नियम 157 (1) (ख, राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण पट्टा घनश्याम आत्मज मूलचंद के नाम जारी किया गया है, जबकि इसी पट्टे की भूमि में शिवराज आत्मज किशनलाल अहीर के तीन कमरे पक्के बने हुये है जो कि पूर्व से पश्चिम 37 फीट व उत्तर से दक्षियण 10 फीट 9 इंच के क्षेत्र में मौजूद है जिसमें शिवराज अहीर निवासी कर रहा है। जबकि मौका स्थल पर पटटानुसार 74 इंटू 74 भूमि उपलब्ध ही नहीं है। अतः ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा संख्या –7 दिनांक 6.11.2004 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

4. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस में कथन रहा है कि सरपच ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द द्वारा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 के तहत पुराने गृहो का विनियमितिकरण पट्टा संख्या 7 दिनांक 27.12.2004 को श्री घनश्याम आत्मज मूलचंद अहीर निवासी ग्राम नांगलहेडी के नाम जारी किया गया जो नियमो के विरूद्ध जारी किया गया है। नियम 157 (1) (ख), राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत 300 वर्गगज के क्षेत्रफल में ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 608 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। नियम 157 (1) (ख,) राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण पटटा जारी करते समय अधिकारित पारिवारिक सदस्यों का सहमति पत्र लिया जाना चाहिये था जो भी नहीं लिया गया। विवादित भूमि पर समस्त परिवार निवास करता है, लेकिन पट्टा केवल घनश्याम के जारी किया गया। अतः न्यायालय निगराकार अभिभाषक के कथन से सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कुराड़िया खुर्द पंचायत समिति सागोद द्वारा घनश्याम आत्मज मूलचंद अहीर निवासी ग्राम नांगलहेडी को जारी किया गया पट्टा संख्या 7 दिनांक 27.12.2004 निरस्त किया जाता है।

5. निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा